



क्रम 3	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>धनेश्वरी देवी पिता स्व० टहल भुइया पति बंशी राम, निवास स्थान ग्राम-नवडीहा सिन्दूर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-38, प्लॉट संख्या-122, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि अनु कुमारी पिता शैलेन्द्र पासवान, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22023004 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-492/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2607/रा० दिनांक 12.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1377 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत लुखर भुइया हैं। खतियान अनुसार धारित कुल रकवा 2.84 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.17 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-38/1 पर लखरा भुइया वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत हैं। आवेदक जमाबंदी रैयत के छरदादा वगै० हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक धरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.12 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख से
1	2	3
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में धनेश्वरी देवी पिता स्व० टहल भुइया पति बंशी राम, निवास स्थान ग्राम-नवडीहा सिन्दूर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-38, प्लॉट संख्या-122, रकबा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि अनु कुमारी पिता शैलेन्द्र पासवान, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	